FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0044 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/12/2023 18:08 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/12/2023 **Time (समय):** 15:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/12/2023 17:36 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 110 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): distt mahendergarh,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ISHWER SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/04/1967 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416381286

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मुकेश कुमार गुप्ता त0 उप अधीश्			1. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक,विभाग डिविजन 3 अटेली MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
2	सुशील कुमार त0 कनिष्ठ अभियंता			1. जन स्वास्थ्य कनीना,जिला महेन्द्रगढ MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
3	सुरेन्द्र कुमार त0 उप म0 अभियं			1. जन स्वास्थ्य विभाग कनीना म0गढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
4	शैलेश यादव		Father's Name: देवेन्द्र यादव	1. हाल राम विहार कालोनी गऊशाला रो,गांव पालडी महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम । विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 11.04.2022 नारनौल, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 25/02/2022-4 चौ(1) दिनांक 05.04.2022, की अनुपालना मे आपके कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 5781/I-2/SVB (H) dated 11.04.2022 के अनुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर पडताल के लिये इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी ।

जांच मे आरोप वर्णित है कि शिकायतकर्ता नरेश ठेकेदार गांव सिहमा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ ने श्री मान मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार चण्डीगढ को प्रेषित शिकायत दिनांक 27.10.2021 मे मुकेश गुप्ता उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये । शिकायत मे लगाये गये आरोपो की जांच कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन न0 2, नारनौल द्वारा अमल मे लाई गई । जांच रिपोर्ट मे शिकायत के आरोप न0 3, 4 व 6 की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा से करवाई जाने बारे अंकित किया गया था जिस पर हरियाणा सरकार ने सहमति देते हुये शिकायत मे वर्णित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने के आदेश पारित किये। शिकायत मे अंकित आरोप न0 3, 4 व 6 निम्नप्रकार से हैः-

कार्यकारी अभियन्ता सुमित गर्ग के कार्यालय पत्र क्रमांक 4506 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार 42 स्वीकृति पत्र जारी किये गये है जिन पर फर्जी हस्ताक्षर किये गये है । स्वीकृति पत्र जारी करने के संबंध मे डिप्टी सुपरीडेन्ट की जिम्मेवारी होती है । डिप्टी सुपरीडेन्ट ने Ex. EN सुमित गर्ग के फर्जी साईन करके खुद का ई.एस.आई व ई.पी.एफ वगैरा निकलवाये थे जो कि गलत थे।

मुकेश गुप्ता ने डी0एन0आई0टी0 व स्वीकृति पत्रो पर कार्यकारी अभियन्ता के स्वंय हस्ताक्षर करके डी0एन0आई0टी0 व स्वीकृति पत्र पास किये है । जिसके कुछ डिस्पेच नम्बर 10307 दिनांक 28.12.2020, 3481, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3480, 3479, 3478, 3476, 3475 दिनांक 06.06.2021 को पास किये गये है ।

मुकेश गुप्ता सुपरीडेन्ट के खिलाफ एक एफ.आई.आर न0 258 दिनांक 08.05.2019 दर्ज है जिसमे एक ठेकेदार इसकी वजह से आत्म हत्या कर गया था जिसमे इसके खिलाफ कोई कार्यवाही ना हुई ।

जांच की पडताल के दौरान अंकित किये गये कथनो व प्राप्त किये गये रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2019 में कार्यालय उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, कनीना जिला महेन्द्रगढ द्वारा उप मण्डल के अर्न्तगत आने वाले गांवों क्रमशः नौताना, धनौन्दा, उन्हानी, खरखडा बांस, अधियार, छितरौली, कनीना शहर, बाघौत, उच्चत, पाथेडा, कैमला, पौता, कोका, झिगावन, सुन्दरह, बेवल, मुंडिया खेडा, गाहडा, सिहोर, खेडी तलवाना, झाडली, सेहलंग, दौंगडा अहीर, कलवाडी, भालखी, ढाणी भालखी आदि की वाटर सप्लाई का वार्षिक मैंन्टीनेंस, वाटर सप्लाई की मोटरों व पाईपों के रिपेयर के कार्य करवाये जाने थे ।

Engineer-in-Chief, Haryana Public Health Engineering Department, Panchkula कार्यालय के पत्र क्रं0 4673-4828-PHED/MMS दिनांक 01.02.2011 के अनुसार सभी अधीक्षक अभियन्ता व सभी कार्यकारी अभियन्ताओं को 20,000/- रूपये तक की खरीद किये जाने के लिये तथा मैन्टेनैंस कार्य के लिये निर्देश दिये गये है । जिनके अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग उप मण्डल कनीना को उपरोक्त वर्णित गांवों में वाटर सप्लाई का मैंटेनैंस व सम्बन्धित कार्य करवाने के लिये 7 दिन का नोटिस देकर डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से सील बन्द

कुटेशन कॉल करनी थी, सीधे तौर पर किसी भी फर्म की कुटेशन नही ली जानी थी । जो भी सील बन्द कुटेशन प्राप्त होती, उनका कुटेशन रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना था तथा पत्र के अनुसार यदि कई कार्य दो से तीन महीने के अन्तराल में एक ही सब-डिविजन में होने थे तो डी0एन0आई0टी0 तैयार करके टैण्डर निकाला जाना चाहिए था । उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, कनीना द्वारा करवाए गये उपरोक्त सभी कार्य केवल एक या दो महीने के अन्तराल पर होने पाये गये है । श्री सुशील कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, कार्यालय उप मण्डल कनीना द्वारा मै0 महीन ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक शलेश यादव से सीधे तौर पर 1- Maheen Trading Company Bus Stand Nangal Mohanpur Kanina, 2- Hazari Lal Bal Bhawan Mahendergarh, 3. Lord Krishana Enterprises Masani Chowk Mahendergarh की कुटेशन लेनी पाई गई है । शेलेश यादव मालिक मै0 महीन ट्रेडिंग कम्पनी ने भी अपने कथन में बतलाया है कि उसने अपनी कुटेशन के साथ एक कुटेशन अपने पिता की फर्म लार्ड कृष्णा ईन्टरप्राईजिज तथा दूसरी कुटेशन मै0 हजारी लाल सुनील कुमार बाल भवन, महेन्द्रगढ की कनिष्ठ अभियन्ता सुशील कुमार को पेश की थी । श्री सुशील कुमार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग कनीना ने उपरोक्त निदेर्शो की पालना न करके शैलेश यादव से 26 कार्यो की कुटेशन लेकर श्री सुरेन्द्र सिंह, उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, कनीना को तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिये भेजी । श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता की जिम्मेवारी बनती थी कि उप मण्डल कनीना में वार्षिक मैंन्टीनेंस, वाटर सप्लाई की मोटरों व पाईपों की रिपेयर के कार्य के लिये 7 दिन का नोटिस देकर डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से कुटेशन कॉल करनी थी तथा सील बन्द लिफाफे में प्राप्त कुटेशनों की तस्दीक करके सबसे कम रेट की कुटेशन वाली फर्म को दर्शाकर तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह, उपमण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग कनीना ने सुशील कुमार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सीधे तौर पर शैलेश यादव से ली गई 26 कार्यो की कुटेशन तथा एक कार्य की Devender Kumar की कुटेशन की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग डिविजन नं0 3 अटेली को भेज दी । जिनमें 26 कार्यो की कुटेशन के सबसे कम रेट Maheen Trading Company, Bus Stand Nangal Mohanpur, Kanina के होने पर व एक कार्य की कुटेशन के सबसे कम रेट Devender Kumar के होने पर कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन नं0 3, अटेली के डिसपैच न0 6003 दिनांक 27.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टेनैंस गावं नौताना, की स्वीकृत राशि 17000 रूप्ये, डिसपैच न0 6004 दिनांक 27.08.2019, कार्य वाटर वर्कस गावं नौताना, की स्वीकृत राशि 15150 रूप्ये, डिसपैच न0 6007 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टेनैंस गावं धनौन्दा, उन्हानी, खरखडा बास, अधियार, छितरौली की स्वीकृत राशि 14330 रूप्ये, डिसपैच न0 6009 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस धनौन्दा, उन्हानी, खरखडा बास, अधियार, छितरौली, की स्वीकृत राशि 18528 रूपये, डिसपैच न0 6010 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस कनीना शहर, की स्वीकृत राशि 11578 रूप्ये, डिसपैच न0 6012 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस बाघौत व उच्चत, की स्वीकृत राशि 15642 रूप्ये, डिसपैच न0 6013 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं पाथेडा व कैमला, की स्वीकृत राशि 13375 रूप्ये, डिसपैच न0 6014 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं पौता कनीना, की स्वीकृत राशि 18360 रूप्ये, डिसपैच न0 6018 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं सेलहग कनीना, की स्वीकृत राशि 6658 रूप्ये, डिसपैच न0 6019 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस पौता कनीना, की स्वीकृत राशि 12810 रूप्ये, डिसपैच न0 6020 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं धनौन्दा, उन्हानी, खरखडा बास, अधियार, छितरौली, की स्वीकृत राशि 14324 रूप्ये, डिसपैच न0 6021 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं धनौन्दा, उन्हानी, खरखडा बास, अधियार, छितरौली, की स्वीकृत राशि 14620 रूप्ये, डिसपैच न0 6022 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं कोका, झिगांवन, सुन्दरह, बेवल, मुन्डीया खेडा की स्वीकृत राशि 15672 रूप्ये, डिसपैच न0 6023 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं नौताना कनीना, की स्वीकृत राशि 17250 रूप्ये, डिसपैच न0 6024 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस गावं नौताना कनीना, की स्वीकृत राशि 8300 रूप्ये, डिसपैच न0 6025 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस गावं गाहडा, सिहोर, की स्वीकृत राशि 8920 रूप्ये, डिसपैच न0 6026 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं नौताना कनीना, की स्वीकृत राशि 13730 रूप्ये, डिसपैच न0 6027 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं बाघौत व उच्चत, की स्वीकृत राशि 19500 रूप्ये, डिसपैच न0 6028 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं धनौन्दा, उन्हानी, खरखडा बास, अधियार, छितरौली, की स्वीकृत राशि 7767 रूप्ये, डिसपैच न0 6029 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस कनीना शहर, की स्वीकृत राशि 19565 रूप्ये, डिसपैच न0 6030 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं खेडी तलवाना व झालडी, की स्वीकृत राशि 17200 रूप्ये, डिसपैच न0 6031 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस गावं धनौन्दा, उन्हानी, खरखडा

बास, अधियार, छितरौली, की स्वीकृत राशि 14590 रूप्ये, डिसपैच न0 6032 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं सेहलंग कनीना, की स्वीकृत राशि 14900 रूप्ये, डिसपैच न0 6033 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस गावं सेहलंग कनीना, की स्वीकृत राशि 12930 रूप्ये, डिसपैच न0 6035 दिनांक 28.08.2019, कार्य वार्षिक मेन्टीनैंस गावं बाघौत व उच्चत, की स्वीकृत राशि 13925 रूप्ये, डिसपैच न0 6036 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस गावं दौन्गडा अहीर, कलवाडी, भालखी, ढाणी भालखी, की स्वीकृत राशि 18220 रूप्ये, फर्म महीन ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नांगल मोहनपुर, कनीना की कुटेशन व देवेन्द्र कुमार की डिसपैच न0 6034 दिनांक 28.08.2019, कार्य वाटर वर्कस गावं नौताना कनीना, की स्वीकृत राशि 16000 रूप्ये, की स्वीकृति देनी पाई गई है । जो कुल 3,90,844 रू0 की स्वीकृतियां देनी पाई गई है ।

फर्म मै0 हजारी लाल सुनील कुमार के मालिक संजय गोयल के ब्यान के अनुसार शैलेश यादव द्वारा जो 26 कुटेशन उसकी फर्म के नाम से लगाई हुई है वे फर्जी हैं जिन पर उसके हस्ताक्षर नहीं है तथा कुटेशन फार्म तथा जी0एस0टी0 नं0 भी भिन्न है क्योकि उसकी फर्म का जी0एस0टी0 नं0 06AHWPG5559R1Z8 है जबकि फर्जी कुटेशन पर जी0एस0टी0 नं0 06AHWTG5559R1Z8 अंकित किया हुआ है । शैलेश यादव ने श्री सुशील कुमार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग कनीना तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग कनीना से मिली भगत करके धोखाधडी से 26 कार्यो की स्वीकृतियाँ प्राप्त की है । जबकि श्री सुशील कुमार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग उप मण्डल कनीना की जिम्मेवारी बनती थी कि वह कार्य के लिये कुटेशन कॉल करता । जो ऐसा न करके उसने शैलेश यादव द्वारा दी गई कुटेशनों को श्री सुरेन्द्र सिंह, उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, कनीना को तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिये भेजी । श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग कनीना की जिम्मेवारी बनती थी कि वह तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करते समय उपरोक्त फर्मो की कुटेशनों की तस्दीक करता तथा तस्दीक करने उपरान्त ही स्वीकृति के लिये अपने उच्च अधिकारियों को भेजता ।

अतः उपरोक्त दोनो कर्मचारियों ने सभी कार्य दो से तीन महीने के अन्तराल में एक ही सब-डिविजन के होते हुये भी डी0एन0आई0टी0 तैयार करके टैण्डर नहीं निकालकर तथा सील बन्द कुटेशन प्राप्त न करके मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो की उल्लंधना की है तथा सीधे तौर पर शलेश यादव, मालिक मै0 महीन ट्रेडिंग कम्पनी से मिलीभगत करके उससे ही तीनो कुटेशन लेकर उनकी तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करके अपने पद का दुरूपयोग किया है ।

उपरोक्त वर्णित कार्यो की कुटेशन व तुल्नात्मक रिपोर्ट उपमण्डल अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग कनीना द्वारा स्वीकृति के लिये कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिविजन नं0 03, अटेली में भेजी जानी पाई गई जिसके सम्बन्ध में श्री सुमित गर्ग, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग अटेली को जांच में शामिल करके कथन अंकित किये गये व फाईल में मौजूद कनीना उपमण्डल की कुल 27 कार्यो की स्वीकृति पत्रों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई । जिसने अपने कथन में बतलाया कि उसकी तैनाती की अवधि के दौरान जो मैन्टीनेंस (रख-रखाव) इत्यादि व वाटर सप्लाई के कार्यो से सम्बंधित सामान खरीद करने के लिये जो कनीना उपमण्डल की 27 स्वीकृतिया जिनकी कुल राशि 3,90,844 रूपये है उनके कार्यालय द्वारा दी गई थी उन पर उनके हस्ताक्षर नही है ।

मुकेश कुमार गुप्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली में उप अधीक्षक के पद पर तैनात था तथा कार्यालय की सभी डाक उसके पास आती थी । जो कनीना उपमण्डल की 27 स्वीकृतियों पर श्री सुमित गर्ग, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली की मोहर के नीचे मुकेश कुमार गुप्ता के लघु हस्ताक्षर है । यहां पर मुकेश कुमार गुप्ता उप अधीक्षक कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग, डिविजन नं0 03, अटेली की यह जिम्मेवारी बनती थी कि वह कार्यकारी अभियन्ता से डाक पर हस्ताक्षर करवाये । जबकि श्री सुमित गर्ग तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता ने अपने कथन मे उपरोक्त स्वीकृतियों पर अपने हस्ताक्षर होने से मना किया है । शिकायतकर्ता ने भी मुकेश कुमार गुप्ता उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली द्वारा उपरोक्त कनीना उप मण्डल की 27 स्वीकृति पत्रों पर श्री सुमित गर्ग तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के फर्जी हस्ताक्षर होने ब्यान किये है ।

मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली ने अपने पद

का दुरूपयोग करके उपरोक्त कनीना उप मण्डल की 27 स्वीकृतियों पर श्री सुमित गर्ग कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के फर्जी हस्ताक्षर करके स्वीकृति देनी पाई गई है । जो मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली, श्री सुशील कुमार तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग कनीना, श्री सुरेन्द्र कुमार तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, कनीना तथा मै0 महीन ट्रेडिंग कम्पनी का मालिक शैलेश यादव पुत्र श्री देवेन्द्र यादव निवासी गांव पालडी हाल राम विहार कॉलोनी गऊशाला रोड महेन्द्रगढ के विरूद्ध धारा 419,420,467,468,471, 120 बी भा0द0स0 व 13 पी0सी0 एक्ट के अन्तगर्त अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया है । उपरोक्त आरोपियों द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध धारा 419,420,467,468,471, 120 बी भा0द0स0 व 13 पी0सी0 एक्ट का करना पाया गया है आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal Nature का है । जिसके लिये मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1 VII दिनांक 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देषों के तहत 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की आवश्यकता नहीं है । अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति, अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे भी देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3397/ACB/GGM दिनांक 07.08.2023 के अनुसार तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी । महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 13529/आई0-2/भ्र0नि0ब्यू0(ह0) दिनांक 10.08.2023 के अनुसार अभियोग दर्ज करने बारे अलग - अलग तहरीर तैयार करके भेजने के निर्देश प्राप्त हुये है । मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली, श्री सुशील कुमार तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता जन स्वास्थय विभाग कनीना, श्री सुरेन्द्र कुमार तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थय विभाग, कनीना तथा मै0 महीन ट्रेडिंग कम्पनी का मालिक शैलेश यादव पुत्र श्री देवेन्द्र यादव निवासी गांव पालडी हाल राम विहार कॉलोनी गऊशाला रोड महेन्द्रगढ के विरूद्ध धारा 419,420,467,468,471, 120 बी भा0द0स0 व 13 पी0सी0 एक्ट के अन्तगर्त अभियोग अकिंत करने के लिये ड्राफट तहरीर तैयार करके अनुमोदन के लिये पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम के पत्र क्रं0 3786/ए0सी0बी0/गुरूग्राम दिनांक 28.08.2023 के अनुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई । मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रं0 14604/I-2/ACB (H) दिनांक 31.08.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मार्क की है । आज मैं हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम हुँ कि उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंर्तगत अभियोग अंकित करने के लिये लेख तैयार करके सि0 विनोद कुमार न0 721/रेवाडी के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम भेजा जा रहा है । अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सुचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवाई जाये । निरीक्षक ईशवर सिंह , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप-केन्द्र नारनौल । दिनांक – 29/12/2023 AT.- 3.30 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 ईशवर सिह के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा सि0 विनोद कुमार न0 721/रेवाडी के हवाले की गई ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ISHWER SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 264NNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1971				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1981				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1963				**Is pox pitted:** Yes

4	Male	01/01/1999				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)